रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 365]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2019/पौष 6, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 341
No. 365]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2019/PAUSHA 6, 1941	[N.C.T.D. No. 341

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2019

सं. फा. 6/50/2019–न्याय/अधी.विधि./2461-2465.—दिनांक 25 जुलाई, 1970 की अधिसूचना संख्या 1/2/70–डीएच (एस) द्वारा यथासंशोधित गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 29 मई, 1970 की अधिसूचना सं. 1/2/70–डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में उसे समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में और आगे संशोधन करने के लिये सहर्ष निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन नियमों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाये।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. नियम 7ग का संशोधन

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 (यहां बाद में उक्त नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 7ग के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"7ग. सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु चयन – प्रशासक को संस्तुतियाँ करने से पहले उच्च न्यायालय विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्र मंगाएगा एवं जैसा यह विहित करे आवेदकगण से वैसी विशिष्टियाँ देने की अपेक्षा करेगा एवं नियमों की परिशिष्ट में विहित ढंग में और जैसा कि समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा विहित पाठ्य विवरण वाले विषयों में लिखित एवं मौखिक परीक्षा कराएगा।"

3. परिशिष्ट का सन्निवेशन उक्त नियमों के अंत में अर्थात् दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 में निम्नलिखित परिशिष्ट सन्निविष्ट किए जाएंगेः–

परिशिष्ट

(नियम 7ग देखें)

I. दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा तीन क्रमिक चरणों में आयोजित की जाएगीः –

(i) मुख्य परीक्षा के लिए चयन के लिए डीएचजेएस प्रारंभिक परीक्षा (25 प्रतिशत नकारात्मक अंकन के साथ वस्तुनिष्ठ प्रकार) जो कि अर्हक स्वरूप की जांच परीक्षा होगी, और

(ii) डीएचजेएस मुख्य परीक्षा (लिखित) उम्मीदवारों के चयन के लिए मौखिक परीक्षा के लिए बुलावा।

(iii) मौखिक परीक्षा

प्रारंभिक परीक्षा

II. प्रारंभिक परीक्षा अर्हक स्वरूप की जांच परीक्षा होगी और इसमें 150 अंकों की अधिकतम संख्या वाले बहु विकल्प आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों का एक पेपर होगा। प्रत्येक एक अंक के सहित 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 25 प्रतिशत नकारात्मक अंकन होगा।

III. **प्रारंभिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंकः**

वर्ग	न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
सामान्य	50 प्रतिशत
आरक्षित श्रेणियां अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगजन	45 प्रतिशत

IV. मुख्य (लिखित) परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक श्रेणी में विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से बीस गुना से अधिक नहीं होगी।

मुख्य (लिखित) परीक्षा

V. मुख्य (लिखित) परीक्षा में निम्नलिखित चार पेपर शामिल होंगे, जिसमें अधिकतम अंक उनके समक्ष दर्शाये गये हैं :–

पेपर	विवरण	अधिकतम अंक
पेपर–I	सामान्य ज्ञान और भाषा – यह उम्मीदवार के वर्तमान मामलों आदि के ज्ञान और अंग्रेजी में अभिव्यक्ति की शक्ति का परीक्षण करने के लिए है। विषय एवं अभिव्यक्ति दोनों के लिए श्रेय दिया जाएगा। खराब अभिव्यक्ति, व्याकरण की त्रुटियों और शब्दों के दुरुपयोग आदि के लिए अंक काटे जायेंगे।	150
पेपर–II	विधि–I – भारत का संविधान, नागरिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, परिसीमन अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम और ऐसे अन्य विषय जो समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।	200
पेपर–III	विधि–II – संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, भारतीय अनुबंध अधिनियम, माल बिक्री अधिनियम, भारतीय साझेदारी अधिनियम, विशिष्ट राहत अधिनियम, मध्यस्थता कानून, व्यक्तिगत कानून और ऐसे अन्य विषय जो समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।	200
पेपर–IV	विधि–III – भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और ऐसे अन्य विषय जो समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।	200

VI. **मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हक अंकः**

वर्ग	प्रत्येक पेपर में न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	कुल योग में न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
सामान्य	45 प्रतिशत	50 प्रतिशत
आरक्षित श्रेणियां अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगजन	40 प्रतिशत	45 प्रतिशत

मौखिक परीक्षा

VII. मौखिक परीक्षा 250 अंकों की होगी। सेवा में नियुक्ति के लिए अनुशंसित होने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजन वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक मौखिक परीक्षा में प्राप्त होने चाहिए।

सामान्य

VIII. प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम समय–समय पर उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

IX. उम्मीदवारों से लिये जाने वाला परीक्षा का शुल्क उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट किया जाएगा।

X. मुख्य (लिखित) परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनकी योग्यता के अंतिम क्रम को निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा।

XI. अंतिम योग्यता सूची मुख्य (लिखित) परीक्षा और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मूल्यांकन के आधार पर तैयार की जाएगी।

XII. **उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन**

प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन नहीं होगा। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और उम्मीदवारों को बिना किसी सूचना के अस्वीकार कर दिया जाएगा

XIII. **परीक्षा में अनुचित साधन का उपयोग**

परीक्षा के किसी भी स्तर पर अर्थात् प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या मौखिक परीक्षा के परिणाम को प्रभावित करने अथवा ऐसा प्रयास करने जैसे किसी भी प्रकार के अनुचित तरीकों का प्रयोग करते हुए पाया जाने पर, अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता बिना किसी सूचना के तुरंत रद्द कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, वह अभ्यर्थी भविष्य में होने वाली परीक्षा से भी ऐसी अवधि हेतु, जैसी कि उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाए, वंचित कर दिया जाएगा जो कि सामान्यतः तीन वर्ष से कम नहीं होगी।

XIV. **परीक्षा सामग्री का विनाश**

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा (25 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा) के लिए प्रत्येक भर्ती परीक्षा के संबंध में प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित ओएमआर उत्तर पुस्तिकाओं, मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं, मौखिक परीक्षा की निर्णय पत्रिका सहित सभी परीक्षा सामग्री को अंतिम परिणाम की घोषणा के एक वर्ष के पश्चात् नष्ट कर दिया जाएगा।

हालाँकि, अगर किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई भी मुकदमा किसी भी अदालत के समक्ष लंबित है, और लिस में शामिल प्रश्न/मुद्दा उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं को प्रभावित करता है, अर्थात् कुल जोड़, मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन इत्यादि, तो उपरोक्त निर्णय के संदर्भ में नष्ट करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले ऐसी उत्तर पुस्तिकाओं को रजिस्ट्री द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा।

XV. **सेवा (सर्विस) ज्वाइनिंग करने के लिए समय सीमा**

(i) सभी चयनित उम्मीदवार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना जारी करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर सर्विस ज्वाइन करेंगे।

(ii) पर्याप्त औचित्य होने पर, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उच्च न्यायालय संबंधित उम्मीदवार द्वारा लिखित आवेदन पर सर्विस ज्वाइनिंग करने के लिए एक महीने की उपरोक्त अवधि को बढ़ा सकता है। ऐसा विस्तार, यदि प्रदान किया जाता है, तो वह केवल दो महीने की अवधि के लिए होगा। इस अवधि के बाद ज्वाइनिंग की अवधि का विस्तार उच्च न्यायालय द्वारा दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी मामले में नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए इस तरह के और विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि के एक माह की अवधि अथवा उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान की गई विस्तारित अवधि के भीतर सेवा में कार्यभार ग्रहण करने में विफल होने पर, चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति रद्द हो जाएगी तथा ऐसे रद्दीकरण के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति, चयन सूची में वरीयता के क्रमानुसार, अगले अभ्यर्थी को प्रस्तावित की जायेगी।

(iv) इस नियम के खंड चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की अधिसूचना का भाग होंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 26th December, 2019

No. F. 6/50/2019-Judl./Suptlaw/2461-2465.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No.F.1/2/70/DH(S) dated the 29th May, 1970 as amended by Notification No.F.1/2/70-DH(S) dated the 25th July, 1970 and all other powers enabling him in this behalf, the Lieutenant Governor of National Captial Territory of Delhi in consultation with the High Court of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Delhi Higher Judicial Service (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 7C. - In the Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, (hereinafter referred to as the said rules) for rule 7C, the following shall be substituted, namely: -

"7C. Selection for appointment by direct recruitment. The High Court, before making recommendations to the Administrator, shall invite applications by advertisement and may require the applicants to give such particulars as it may prescribe and shall hold written examination(s) and viva voce test in the manner as prescribed in the Appendix to the Rules and in the subjects with the syllabi as prescribed by the High Court from time to time."

3. Insertion of Appendix: In the end of the said rules i.e. Delhi Higher Judicial Service Rules, 1970, the following appendix shall be inserted namely:-

APPENDIX

(See Rule 7C)

I. Delhi Higher Judicial Service Examination will be held in three successive stages: -

(i) DHJS Preliminary Examination (Objective type with 25% negative marking) for selection for the main examination which shall be a screening test of qualifying nature, and

(ii) DHJS Main Examination (Written) for selection of candidates for calling for viva-voce.

(iii) Viva-voce.

PRELIMINARY EXAMINATION

II. The Preliminary Examination will be a screening test of qualifying nature and will consist of one paper of multiple choice based objective type questions carrying a maximum of 150 marks. There shall be 150 questions with each question carrying one mark with 25% negative marking for each wrong answer.

III. Minimum qualifying marks for Preliminary Examination:

Category	Minimum Qualifying Marks (in %)
General	50%
Reserved Categories i.e. SC, ST and Persons with Disability	45%

IV. The number of candidates to be admitted to the Main (Written) Examination shall not be more than twenty times the total number of advertised vacancies in each category.

MAIN (WRITTEN) EXAMINATION

V. The Main (Written) Examination shall consist of the following four papers with the maximum marks specified against it: -

Papers	Description	Max. Marks
Paper-I	**General Knowledge & Language -** This is to test the candidate's knowledge of current affairs etc. and power of expression in English. Credit will be given both for substance and expression. Conversely deduction will be made for bad expression, faults of grammer and misuse of words etc.	150
Paper-II	**Law-I –** Constitution of India, Code of Civil Procedure, Indian Evidence Act, Limitation Act, Registration Act and such other subjects as may be specified by the High Court from time to time.	200
Paper-III	**Law-II –** Transfer of Property Act, Indian Contract Act, Sale of Goods Act, Indian Partnership Act, Specific Relief Act, Arbitration Law, Personal Law and such other subjects as may be specified by the High Court from time to time	200
Paper-IV	**Law-III –** Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, Indian Evidence Act and such other subjects as may be specified by the High Court from time to time.	200

VI. Minimum qualifying marks for the Main (Written) Examination:

Category	Minimum Qualifying Marks in each paper (in %)	Minimum Qualifying Marks in the aggregate (in %)
General	45%	50%
Reserved Categories i.e. SC, ST and Persons with Disability	40%	45%

VIVA VOCE

VII. Viva-Voce will carry 250 marks. A candidate of general category must secure minimum 50% marks and a candidate of reserved category i.e. Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Persons with Disability must secure minimum 45% marks in viva-voce to be eligible for being recommended for appointment to the service.

GENERAL

VIII. The Syllabi for the Preliminary Examination and the Main Examination shall be as prescribed by the High Court from time to time.

IX. The fee for the examination to be charged from the candidates shall be as specified by the High Court from time to time.

X. The marks obtained in the preliminary examination by the candidates who are declared qualified for admission to the Main (Written) Examination shall not be counted for determining their final order of merit.

XI. The final merit list will be prepared on the basis of assessment of marks obtained in the Main (Written) Examination and Viva Voce.

XII. <u>RE-EVALUATION OF ANSWER SHEETS</u>

There shall be no re-evaluation of answer sheets in respect of Preliminary Examination and Mains Examination. No request for re-evaluation of answer sheets shall be entertained and the same shall be liable to be rejected without any notice to the candidates.

XIII. <u>USE OF UNFAIR MEANS IN THE EXAMINATION</u>

The candidature of candidates found using unfair means of any nature by exercising or attempting to influence the result of the examination at any stage of the Examination, i.e. Preliminary Examination, Mains Examination or Viva Voce, shall be summarily rejected without any further notice to the candidates. Moreover, such candidate shall be debarred from the future Examination for such a period as may be decided by the High Court, which shall ordinarily be not less than three years.

XIV. <u>DESTRUCTION OF EXAMINATION MATERIAL</u>

All Examination material including OMR answer sheets relating to Preliminary Examination, answer sheets of Main Examination, award sheets of viva voce, etc. in relation to each recruitment examination for Delhi Higher Judicial Service (25% direct recruitment quota) will be destroyed one year after the declaration of the final result.

However, if any litigation pertaining to any examination is pending before any Court, and the question / issue involved in the lis touches upon the answer sheets of the candidate (s) i.e. totaling, evaluation, re-evaluation, etc., the Registry shall preserve such answer sheets before initiating the process of destruction in terms of the above decision.

XV. <u>TIME LIMIT FOR JOINING SERVICE</u>

(i) All selected candidates shall join the service within a period of one month from the date of issuance of notification of appointment by the competent authority.

(ii) Upon sufficient justification, the competent authority i.e. the High Court may extend the abovementioned period of one month for joining service on a written application made by the candidate concerned. Such extension, if granted, shall be for a period of two months only. Extension of period of joining beyond this period may be granted by the High Court in rare and exceptional circumstances but in no case shall such further extension be granted for a period of more than six months from the date of issuance of notification of appointment.

(iii) Upon failure of the selected candidate to join service either within one month of the date of notification of appointment or upon expiry of such extended period as may be granted by the High Court, the appointment of the selected candidate shall lapse and the vacancy so created on account of such lapse may be offered to the next candidate, as per order of merit in the select list.

(iv) The clauses of this Rule shall form part of the notification of appointment of the selected candidates.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.31 22:58:33 +05'30'